न्यायालय– अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	हेतराम मूंड, आर.जे.एस.
मुकदमा संख्या	–	1354/2021
सीआईएस संख्या	–	957/2021
CNR	–	RJHG120019012021

सुखदेव सिंह पुत्र मघरसिंह, निवासी वार्ड नम्बर पुराना 21, नया 28 रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

– परिवादी

बनाम

सत्यनारायण पुत्र किशनाराम, निवासी वार्ड नम्बर पुराना 22, नया 31 रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

प्रतिनिधित्व –

1– श्री गौरीशंकर वर्मा, श्री मांगीलाल वर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

2– श्री रोहिताश नाई, श्री हितेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

न्यायालय द्वारा — – निर्णय – — दिनांक–28–07–2026

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 10–03–2021 को परिवादी सुखदेव सिंह ने अभियुक्त सत्यनारायण के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादी की अभियुक्त से अच्छी जान–पहचान थी। अभियुक्त ने दिनांक 28–06–2016 को घर खर्च व मकान निर्माण आदि के लिये 3,50,000/– रुपये परिवादी से नगद उधार लिये तथा दिनांक 15–04–2019 को ब्याज सहित अदा करने का करार कर परिवादी के घर अभियुक्त की उपस्थिति में परिवादी के पुत्र जगदीप सिंह की बकलमी 100/– रुपये के स्टाम्प पर लिखापढ़ी की। दिनांक 15–04–2019 के पश्चात लगातार परिवादी, अभियुक्त से उक्त रुपयों की मांग करता रहा। तत्पश्चात अभियुक्त ने 4,50,000/– रुपये ब्याज सहित लौटाने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात उक्त ऋण अदायगी के क्रम में अभियुक्त ने दिनांक 30–01–2021 को 4,50,000/– रुपये की राशि का एक चैक संख्या 765553 दिनांकित 30–01–2021 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावतसर का परिवादी के पक्ष में जारी किया हुआ एवं हस्ताक्षरित बमुकाम रावतसर में दिया। जिसके भुगतान का अभियुक्त ने विश्वास

दिलाया। उक्त चैक को परिवादी ने भुगतान प्राप्त करने हेतु अभियुक्त के कहे अनुसार अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावतसर में दिनांक 30-01-2021 को प्रेषित किया। पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावतसर ने उक्त चैक को अनादरित कर मय चैक वापसी ज्ञापन जिस पर "Funds Insufficient" का पृष्ठांकन कर उक्त चैक मय वापसी ज्ञापन दिनांक 01-02-2021 को अनादरित कर मूल चैक, चैक वापसी ज्ञापन पंजाब नेशनल बैंक शाखा रावतसर दिनांक 01-02-2021 सहित बिना भुगतान किये परिवादी को वापिस लौटा दिया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त को दिनांक 06-02-2021 को विधिक नोटिस जरिये रजिस्ट्री डाक प्रेषित किया। उक्त नोटिस अभियुक्त के रजिस्टर्ड पता पर स्वयं को दिनांक 09-02-2021 को प्राप्त हो चुका है। नोटिस मिलने के पश्चात अभियुक्त ने आज दिनांक तक परिवादी को उक्त चैक पेटे राशि का भुगतान नहीं किया है। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्त को उसके कृत्य के लिये दण्डित किया जावे व अभियुक्त से परिवादी को चैक की राशि 4,50,000/- रुपये व क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

2. परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में असल चैक, चैक वापसी ज्ञापन, नोटिस की द्वितीय प्रति, असल रजिस्टरी रसीद, अन्य कागजात तथा शपथ पत्र पेश किया। बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 10-08-2021 को 138 एन.आई. एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 04-06-2024 को अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध के आरोप की विशिष्टियां मौखिक रूप से सुनाई, समझाई गई तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य परिवादी में गवाह पीडब्ल्यू 1 सुखदेव सिंह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये-

प्रदर्श दस्तावेजात्	नाम दस्तावेजात्
प्रदर्श पी 1	मूल चैक
प्रदर्श पी 2	असल उधार राशि प्राप्ति की लिखापढ़ी
प्रदर्श पी 3	असल चैक रिटर्न मीमो
प्रदर्श पी 4	अधिवक्ता विधिक नोटिस द्वितीय प्रति
प्रदर्श पी 5	मूल रजिस्टर डाक रसीद
प्रदर्श पी 6	असल डाक रजिस्ट्री वितरण की तस्दीक हेतु
प्रदर्श पी 7	असल डाक प्राप्ति रिपोर्ट
प्रदर्श पी 8	असल आईटीआर वर्ष 2017-18
प्रदर्श पी 9 व 10	प्रमाणित प्रति जमाबंदी
प्रदर्श पी 11	मूल परिवाद

5. साक्ष्य परिवादी सम्पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त सत्यनारायण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाह के कथनों को गलत होना बताते हुए इसके द्वारा परिवादी की दुकान गुरू गोविन्द सिंह एग्रीकल्चर से उधार में सामान खरीदने, जिसके सिक्योरिटी पेटे परिवादी द्वारा खाली स्टाम्प व खाली चैक लेने, इसके द्वारा परिवादी का हिसाब कर देने, परिवादी द्वारा इससे रुपये ऐठने के लिये उक्त चैक लगाने, इसके निर्दोष होने का कथन किया व साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया। प्रतिरक्षा स्वरूप अभियुक्त की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

6. सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. **क्या अभियुक्त सत्यनारायण ने परिवादी को देय राशि के भुगतान के पेटे एक चैक संख्या 765553 राशि 4,50,000/– रुपये दिनांकित 30–01–2021 का अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया, जो निर्धारित समयावधि में परिवादी द्वारा भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया। उक्त चैक अभियुक्त के खाते में Funds Insufficient होने के कारण अनादरित हो गया, जिसकी सूचना निर्धारित समयावधि में परिवादी द्वारा अभियुक्त को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दी गई परन्तु बावजूद नोटिस भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि परिवादी को अदा नहीं की ?**
2. **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?**

7. उक्त अवधारणीय बिन्दु के संबंध में बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से 3,50,000/– रुपये उधार प्राप्त किये गये, मांगने पर ब्याज सहित 4,50,000/– रुपये का चैक दिया गया, चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपी के विरुद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतः संदेह से परे प्रमाणित है। परिवादी की साक्ष्य का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं हो पाया है। इसलिये अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

8. जिसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी की दुकान से सामान खरीदा गया था, जिसकी अदायगी के सिक्योरिटी पेटे अभियुक्त द्वारा परिवादी को खाली स्टाम्प व खाली चैक दिया गया था। अभियुक्त द्वारा परिवादी का सम्पूर्ण हिसाब चूकता करने के बावजूद भी परिवादी द्वारा उक्त चैक का दुरुपयोग किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इसलिये अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9. न्यायालय द्वारा अवधारणीय बिन्दु के दृष्टिगत उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों, वितर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। किसी भी व्यक्ति पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने के लिये परिवादी को जिन प्राथमिक तथ्यों को

साबित करने की आवश्यकता रहती है, उन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अभियुक्त के विरुद्ध पेश किया गया है। धारा 138 एन.आई. एक्ट प्रकरण में आपराधिक दायित्व अधिरोपित किये जाने के लिये निम्न तथ्य महत्वपूर्ण हैं:–

1. क्या विवादित चैक अपर्याप्त निधि के आधार पर या अन्य कारण से अनादरित किया गया है ?
2. क्या परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट की सम्पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है ?
3. क्या विवादित चैक(चैक जारीकर्ता द्वारा) विधितः प्रवर्तनीय ऋण व विधिक दायित्व के पूर्णतया या भागतः निर्वहन में दिया गया है ?

10. न्यायालय के विनम्र मत में धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध के अन्तर्गत आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने के लिये परिवादी द्वारा न केवल यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि चैक जारी करने वाले के खाते में अपर्याप्त निधि या निधि के अभाव के कारण या अन्य किसी कारण से चैक अनादरित हुआ है, अपितु साथ ही साथ यह भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि कथित चैक, चैक जारीकर्ता द्वारा विधितः प्रवर्तनीय ऋण या विधिक दायित्व के संबंध में जारी किया गया था।

11. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि साक्ष्य परिवादी में परिवादी पीडब्ल्यू 1 सुखदेव सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में परिवाद में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। ऐसे में उन तथ्यों को पुनः नहीं दौहराया जा रहा है। गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी 1 पर ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर काले पैन से किये हैं तथा अन्य सभी इबारत नीली स्याही से अंकित की गई है। इस कथन को गलत बताया कि प्रदर्श पी 1 पर ए से बी छोड़कर समस्त इबारत इसने स्वयं ने भरी हो। इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी 2 पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही प्रदर्श पी 2 नोटेरी से तस्दीकशुदा है। इस कथन को गलत बताया कि प्रदर्श पी 2 इसके द्वारा अभियुक्त से खाली प्राप्त किया गया हो, इस कारण हस्ताक्षर व अन्य इबारत की स्याही में भिन्नता हो तथा गवाह स्वरूप अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर न हो। इस कथन को सही बताया कि विवादित चैक को लेकर कल दिनांक 19–02–2026 को इनकी एक पंचायती हुई थी। इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी 1 पर ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर अभियुक्त द्वारा इसके सामने किये गये थे। इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी 1 पर ए से बी स्थान पर अभियुक्त द्वारा किये गये हस्ताक्षर जांच के लिये न्यायालय एफएसएल को भेजे तो इसे कोई आपत्ति नहीं है। इस कथन को सही बताया कि वर्ष 2016 में यह दुकानदारी का काम ही करता था। इस कथन को गलत बताया कि अभियुक्त द्वारा तवी इससे खरीद की गई हो, जिसके ऐवज में उक्त विवादित चैक दिया हो तथा इसके द्वारा लालचवश प्रदर्श पी 1 में साढे चार लाख रुपये भरकर अभियुक्त के खिलाफ पेश किया गया हो।

12. उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दु के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली पर आई साक्ष्य का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन करने से प्रकट होता है कि विवादित चैक को भुगतान प्राप्त करने हेतु परिवादी द्वारा बैंक में पेश किया गया तो उक्त चैक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण “Funds Insufficient” के पृष्ठांकन के साथ बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया। इस तथ्य का अंकन परिवादी ने अपने परिवाद के कॉलम संख्या 2 में किया है तथा अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि अपनी साक्ष्य में करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण उसे प्रश्नगत चैक का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इस तथ्य की सम्पुष्टि हेतु परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 3 चैक रिटर्न मीमो पेश किया गया है जिसमें भी प्रश्नगत चैक “Funds Insufficient” के आधार पर अनादृत किए जाने का अंकन है। इस प्रकार पत्रावली पर उपरोक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष यह सहज रूप से प्रमाणित हो जाता है कि प्रश्नगत चैक का भुगतान अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण परिवादी को नहीं हो सका। अर्थात प्रश्नगत चैक “Funds Insufficient” के आधार पर बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया।

13. अब न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट की सभी औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है अथवा नहीं? इस संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा विवादित प्रश्नगत चैक संख्या 765553 दिनांक 30–01–2021 राशि 4,50,000/– रुपये का भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक में पेश करने पर उक्त चैक बैंक द्वारा दिनांक 01–02–2021 को “Funds Insufficient” के आधार पर अनादृत कर देने के पश्चात परिवादी को वापस सुपुर्द कर दिया गया। परिवादी को प्रश्नगत चैक अनादृत होकर प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 06–02–2021 को चैक जारीकर्ता/अभियुक्त सत्यनारायण को जरिए अधिवक्ता ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर चैक राशि की मांग की। जो दिनांक 09–02–2021 को अभियुक्त को मिल गया। बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। तत्पश्चात परिवादी ने निर्धारित समयावधि के भीतर दिनांक 10–03–2021 को हस्तगत प्रकरण परिवाद न्यायालय में पेश किया गया है। इस तथ्य की सम्पुष्टि परिवादी ने अपनी साक्ष्य में भी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित हो जाता है कि परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट की सम्पुर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

14. अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु है कि क्या प्रश्नगत चैक चैक जारीकर्ता/अभियुक्त द्वारा अपने किसी विधिक दायित्व या विधिक ऋण की अदायगी पेटे जारी किया गया था अथवा नहीं इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि परिवादी ने अपने परिवाद में प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा उसे उधार दी गई राशि 3,50,000/– रुपये व ब्याज की एवज में दिए जाने का कथन किया है। परिवादी ने अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि अपनी साक्ष्य से करते हुए अभियुक्त की जान पहचान होने के कारण उसने अभियुक्त को 3,50,000/– रुपये उधार देना

बताया है। परिवादी द्वारा रूपये मांगने पर अभियुक्त द्वारा ब्याज सहित परिवादी को दिए हुए चैक को बैंक में लगाकर रूपए प्राप्त करने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी 2 का अवलोकन किया जाये तो उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त स्टाम्प अभियुक्त द्वारा ही जिस दिनांक को परिवादी से रुपये उधार प्राप्त किये हैं, उसी दिनांक को खरीद किया गया है। उक्त प्रदर्श पी 2 में अभियुक्त द्वारा परिवादी से 3,50,000/– रुपये एक रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज पर प्राप्त करने व दिनांक 15–04–2019 को वापिस करने के संबंध में तथ्य अंकित हैं। उक्त प्रदर्श पी 2 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी हैं। अतः प्रदर्श पी 2 से भी परिवादी की साक्ष्य का समर्थन होता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष यह सहज रूप से प्रमाणित हो जाता है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा अपने विधिक दायित्व व निर्वहन के पेटे ही परिवादी को दिया गया था।

15. दौराने बहस मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि प्रदर्श पी 2 उधार बाबत लिखापढ़ी कूटरचित तौर पर तैयार किया गया है। उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का मत यह है कि यदि प्रदर्श पी 2 उधार बाबत लिखापढ़ी कूटरचित तौर पर तैयार किया गया होता तो अभियुक्त द्वारा अवश्य ही परिवादी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जाती, जबकि ऐसी कोई कार्यवाही परिवादी के विरुद्ध की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है। इसके अतिरिक्त यह कि प्रदर्श पी 2 का स्टाम्प स्वयं अभियुक्त द्वारा ही क्रय किया गया है जो उसके फर्जी व कूटरचित होने की सम्भावना को खारिज करता है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

16. दौराने बहस मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि अभियुक्त द्वारा परिवादी की दुकान से सामान खरीदा गया था, जिसके सिक्योरिटी पेटे परिवादी ने खाली स्टाम्प व खाली चैक लिया था। अभियुक्त द्वारा परिवादी का हिसाब कर दिये जाने के पश्चात रुपये हड़पने की नीयत से अभियुक्त के चैक का परिवादी द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इसलिये अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे। उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का मत यह है कि यदि वास्तव में अभियुक्त द्वारा परिवादी के रुपये लौटा दिये गये हों और रुपये लौटा दिये जाने के पश्चात भी परिवादी द्वारा अभियुक्त के चैक का दुरुपयोग किया गया होता तो अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरुद्ध अवश्य ही आपराधिक कार्यवाही की जाती, लेकिन अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरुद्ध ऐसी कोई आपराधिक कार्यवाही की गई हो, इस प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है। ना ही अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है, जिससे यह जाहिर होता हो कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य दुकान के सामान का लेनदेन हो और उक्त सामान के रुपये परिवादी को अभियुक्त द्वारा अदा कर दिये गये हों। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

17. दौराने बहस मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में स्टाम्प लिखकर दिया गया है तो परिवादी को अभियुक्त के विरुद्ध सिविल कार्यवाही करनी चाहिये थी जो कि उसके द्वारा नहीं की गई है। इसलिये मुलजिम को दोषमुक्त किया जावे। उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का मत यह है कि जहां किसी व्यक्ति को

आपराधिक व सिविल कार्यवाही दोनों एक साथ करने का अधिकार प्राप्त हो तो यह उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है कि वह आपराधिक कार्यवाही करे या सिविल कार्यवाही। ऐसे में परिवादी को आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ सिविल कार्यवाही करने का अधिकार हो तो उसके द्वारा यदि सिविल कार्यवाही नहीं की गई तो मात्र उस आधार पर मुलजिम आपराधिक दायित्व से नहीं बच सकता। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

18. धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम– धारक के पक्ष में तब तक अन्यथा साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 एन.आई. एक्ट में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

19. धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा अभियुक्त के विरुद्ध व परिवादी के पक्ष में की जाती है कि चैक जारीकर्ता ने विधिक दायित्व के निर्वहन पेटे प्रश्नगत चैक जारी किया गया था। यह एक खण्डनीय उपधारणा है, जिसका अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की प्रतिपरीक्षा या स्वयं साक्षी बॉक्स में आकर खण्डन किया जा सकता है। अभियुक्त का खण्डन ठोस होना चाहिए मात्र डिनायल नहीं। परिवादी की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य में चैक विधिक दायित्व के पेटे दिया जाना प्रमाणित है। अभियुक्त पर प्रतिफल एक ऋण को नॉनएक्जिटेंस का, जो प्रारम्भिक बर्डन ऑफ प्रूफ है वह किसी भी प्रकार से अभियुक्त से डिस्चार्ज होकर परिवादी पर शिफ्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त उपधारणा अभियुक्त के विरुद्ध व परिवादी के पक्ष में प्रमाणित हो जाती है।

20. धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध को साबित करने के लिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से यह सहज प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने परिवादी की बकाया राशि के अदायगी पेटे ही प्रश्नगत चैक जारी किया था, जो कि उसने विधिक दायित्व के निर्वहन के पेटे जारी किया था। न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि उक्त चैक अभियुक्त के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हुआ है तथा परिवादी पक्ष के द्वारा नियमानुसार विधिवत् समयावधि के भीतर चैक अनादरण की सूचना अभियुक्त को दी गई और चैक में वर्णित राशि की मांग की गई, परन्तु बावजूद सूचना के निर्धारित समयावधि में अभियुक्त द्वारा चैक में वर्णित राशि परिवादी को अदा नहीं की गई है। इस प्रकार परिवादी पक्ष द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की सम्पूर्ण प्राथमिक शर्तों को पूरा किया गया है।

21. अभियुक्त ऐसे तथ्यों, परिस्थितियों को रिकार्ड पर लाने में असफल रहा है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त ने विवादित चैक प्रदर्श पी 1 किसी दायित्व व निर्वहन के उन्मोचन के लिए ना दिया हो। ऐसी स्थिति में धारा 118 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम उपधारणा का खण्डन करने में अभियुक्त असफल रहा है। परिवादी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। परिवादी पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना आवश्यक था, जिसे परिवादी साबित करने में सफल रहा है।

22. उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त सत्यनारायण को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

23. अतः अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र किशनाराम, निवासी वार्ड नम्बर पुराना 22, नया 31 रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत–मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(हेतराम मूंड)
अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर, हनुमानगढ़।

परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत व सजा के बिंदु पर सुना गयाः–

24. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त पूर्व दोषसिद्व नहीं है। अपराध मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास से दण्डनीय नही है। अतः नरमी का रूख अख्तयार करते हुए परीविक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए अभियुक्त को कठोर सजा से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया।

25. उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्व धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अपराध का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित हुआ है तथा वर्तमान मे चैक अनादरण के प्रकरणों मे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक विकास आधारभूत आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक जगत मे सुरक्षा का वातावरण बना रहना अत्यन्त आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम मे विभिन्न उपधारणाओं का समावेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–दण्डादेश–

26. परिणामतः अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र किशनाराम, निवासी वार्ड नम्बर पुराना 22, नया 31 रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोपित अपराध के लिए 02 वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा 357(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को 5,10,000/– रूपये (अखरे पांच लाख दस हजार रूपये मात्र)

प्रतिकर के रूप मे अदा करेगा। उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रकरण मे व्यतीत पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को मूल सजा मे समायोजित की जावे। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जावे।

27. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन धारा 437(क)दंड प्रक्रिया संहिता/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(हेतराम मूंड)
अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर, हनुमानगढ़।

28. उक्त निर्णय/दण्डादेश आज दिनांक 28–07–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेतराम मूंड)
अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर, हनुमानगढ़।

SUNIL KUMAR

Steno Grade III
''Authenticated Document
Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.28 15:58:11 +0530